

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक-एफ 5(यो)(14)एसीटीएडी/माडा/275(1)अलवर/2019-20/

दिनांक-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
अलवर।

विषय- राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास, दुब्बी (अलवर) में सिंगल फेस बोरिंग निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 31720-24 दिनांक 31.08.2018 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर के पत्रांक 9715-18 दिनांक 09.10.2020 के साथ प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्न कार्य की कॉलम संख्या-7 के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- P.H.E.D.

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2		3	4	5	6	7
1	राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास, दुब्बी में सिंगल फेस बोरिंग निर्माण कार्य	दुब्बी	राजगढ़	31720-24/ 31.08.2018	3.53	104/ 20.12.2019	3.53

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या- 103 वर्ष 2019-20 से प्राप्त राशि रूपये 250.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डो. खाते में उपलब्ध है।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
- कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
- कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
- निर्माण पश्चात् संचालन राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास, दुब्बी द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तान्तरित की जावे।

भवदीय

//

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय).I.A.S.

आयुक्त

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक-एफ 5(यो)(14)एसीटीएडी/माडा/275(1)अलवर/2019-20/१६/८८-१८
प्रतिलिपि-

दिनांक-१७/१०/२०१९

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद, अलवर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि संविधान की धारा 275 (1) अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 103 वर्ष 2019-20 द्वारा पेयजल निर्माण हेतु प्राप्त राशि 250.00 लाख रु में से जिला परिषद, अलवर को राशि 3.53 लाख रु हस्तान्तरित करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, खण्ड-राजगढ़, जिला- अलवर।
7. वार्डन, राजकीय बालिका आश्रम छात्रावास, दुब्बी, पंचायत समिति- राजगढ़, जिला- अलवर।
8. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)